BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियॉ

निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियॉ – चुनाव आयोग की कार्य और शक्तियॉ वृहद् है। आम चुनावों के समय समस्त प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशन में कार्य करता है। चुनाव आयोग के कार्य व शक्तियों के तीन क्षेत्र प्रशासनिक, परामर्शदात्री तथा अर्द्व–न्यायिक हैं।

1. चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन अथवा सीमांकन करना है। चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के लिए संसद द्वारा वर्ष 1952 में "परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952" पारित किया गया है। प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं साथ ही आयोग की सहायता के लिए सहायक सदस्यों का भी प्रावधान है।
2. चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार करायी जाती है। जिसका मुख्य उद्वेश्य कोई भी व्यस्क व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई हो, मताधिकार से वंचित न हो सके।
3. चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। चुनाव आयोग द्वारा ही राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दलों का निर्धारण किया जाता है।
4. चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित(Reserved) चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। यदि चुनाव चिन्ह आवंटन में दो राजनीतिक दलों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष एवं न्यायिक ढ़ग से उसका निष्पादन करता है।

5. चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं तथा अन्य चुनाव कराया जाता है। चुनाव के संबंध में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार से परामर्श प्राप्त करते हुए निर्णय चुनाव आयोग लेता है।
6. चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) तैयार करता है।
7. राष्ट्रपति द्वारा चुनाव की अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तिथियों की घोषणा की जाती है। इस घोषणा में नामांकन की तिथि, नामांकन पत्रों के जॉच की तिथि, नामांकन वापस लेने की तिथि, मतगणना की तिथि का उल्लेख होता है।
8. चुनाव आयोग हिंसा, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति में चुनाव को रद्व कर सकता है।
9. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण, मतदान कार्य में संलग्न विभिन्न पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।
10. चुनाव आयोग द्वारा, उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि को निश्चित किया जाता है। चुनाव के समय उम्मीदवारों द्वारा व्यय की गई राशि की जॉच के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर उसकी जॉच करता है। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के तहत पर्यवेक्षक सीधे भारत निर्वाचन आयोग को अपनी रिर्पोट देते हैं।
11. चुनाव के समय राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए आवश्यक मापदण्ड निर्धारित करता है।

इन कार्यो के अतिरिक्त चुनाव आयोग द्वारा समय–समय पर सरकार को अपने कार्यो के संबंध में प्रतिवेदन तथा चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देता रहेगा।